तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रथम अपील, लक्ष्मीनारायण बनाम लोक सूचना अधिकारी एंव(अति0जिला कलक्टर धौ0) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 79/2021) (जीसीएमएस न0 2021/182)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
24-8-2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांकः अपील/आरटीआई./2021–22/288–289 दिनांक 11.8.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.05.2021 को आवेदन भिजवाया गया। उक्त आवेदन आवक शाखा के क्रमांक 5478 दिनांक 25.05.2021 से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक संपर्क/सूचना अधि./2021/207 दिनांक 22.06.2021 से जरिये रजिस्टर्ड–डाक सूचना भिजवा दी गई है कि आप बिन्दु संख्या 01 की सूचना हेतु राशि 236/–रू0 जमा कराते हुये चाही गई सूचना प्राप्त करें। शेष बिन्दु संख्या 2 लगा0 5 की सूचना दिया जाना अपेक्षित/संभव नहीं है। इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र 1 माह के भीतर भेजा गया है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.05.2021 को आवेदन भिजवाया गया। उक्त आवेदन आवक शाखा के क्रमांक 5478 दिनांक 25.05.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक संपर्क/सूचना अधि./2021/207 दिनांक	

22.06.2021 से जरिये रजिस्टर्ड–डाक सूचना भिजवा दी गई है कि आप बिन्दु संख्या 01की सूचना हेतु राशि 236/–रू0 जमा कराते हुये चाही गई सूचना प्राप्त करें। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को सूचना हेतु पत्र 1 माह के भीतर भेजा गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या–1 की चाही गई सूचना हेतु राशि 236/–रू0 जमा करा कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 02,03 व 05 की चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सूचना का सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना व प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अतः उक्त बिन्दुओं के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। बिन्दु संख्या–4 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 एवं कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.04.2010 के अनुसार तृतीय पक्ष से सम्बधित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर